



2026:AHC:36820-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-3749/2026

मनीष चौहान

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....प्रतिवादीगणगण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: राहुल यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: अधिशासी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान आधिशासी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए यह रिट याचिका दायर की है:

“(I) प्रतिवादी संख्या 4/जांच अधिकारी को धारा 109(1), 61(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन शादियाबाद, जिला-गाजीपुर के अन्तर्गत मामला अपराध संख्या 0020/2026 की निष्पक्ष जांच निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत किया जाए।

(II) पुलिस अधिकारियों/प्रतिवादियों को धारा 109(1), 61(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन शादियाबाद, जिला-गाजीपुर के अन्तर्गत मामला अपराध संख्या 0020/2026 में निजी प्रतिवादी संख्या 5 से 10 को गिरफ्तार करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत किया जाए।

(III) माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझा जाने वाला एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।“

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता इस मामले में प्रथम सूचनादाता है तथा यद्यपि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 26.01.2026 को दर्ज की गयी है, फिर भी पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले की जांच नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त की दृष्टि में, याचिकाकर्ता गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर अपनी शिकायत को उजागर कर निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग कर सकता है तथा यदि ऐसा आवेदन गाजपुर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक/प्रतिवादी संख्या 2 इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और शीघ्र जांच सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त अवलोकन के साथ, यह याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

केयू